E Mail

मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल

// आदेश //

भोपाल, दिनांक 24-8-2011

क्रमांक एफ 27–30/2011/20–2, :: म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय के आदेश क्रमांक/एफ 44–34/2006/20–2, दिनांक 18.10.2006 द्वारा राज्य शासन के निर्णय अनुसार स्कूली विद्यार्थियों को कॅरियर काउंसलिंग के लिए प्रत्येक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय स्तर पर स्वामी विवेकानंद कॅरियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ की स्थापना करने तथा कक्षा 11वीं एवं कक्षा 12वीं मे अध्ययनरत छात्र/छात्राओं से रूपये 1/– प्रतिमाह की दर से रोजगार एवं शिक्षा समन्वय शुल्क एकत्रित करने के निदेश प्रसारित किये गये थे ।

2/ यह योजना प्रत्येक हाईस्कूल स्तर पर भी लागू करने का निर्णय लिया गया है । अतः निम्नानुसार निर्देश दिये जाते है :-

(क) स्कूली विद्यार्थियों को कॅरियर काउंसलिंग के लिये प्रत्येक हाईस्कूल मे विद्यालय स्तर पर स्वामी विवेकानंद कॅरियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ की स्थापना की जाये । इस प्रकोष्ठ म संस्था के एक शिक्षक को प्रभारी बनाया जाय । प्रकोष्ट के अंतर्गत कॅरियर मार्गदर्शन, लाईब्रेरी तथा इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराई जावेगी ।

(ख) कक्षा 9वीं एवं कक्षा 10वीं मे अध्ययनरत छात्र/छात्राओं से 1/– रूपये मात्र प्रतिमाह की दर से रोजगार एवं शिक्षा समन्वय शुल्क एकत्रित किया जाये । यह राशि संबंधित विद्यालय द्वारा एकत्रित कर अपने पास रखी जावेगी एवं इस राशि से इस योजना पर होने वाले व्यय का भुगतान किया जा सकेगा, जो राशि छात्रों से एकत्र की जाएगी वह युक्तियुक्त तरीके से खर्च हो इस व्यय के आडिट की व्यवस्था भी की जाएगी ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(शोभा इवनाती)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन,स्कूल शिक्षा विभाग

पृ0 कमांक एफ—44—35/2011/20—2 भोपाल दिनांक 24-8-2011

प्रतिलिपि:—

1. आयुक्त, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
2. आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
3. आयुक्त, आदिम जाति विकास विभाग, भोपाल ।
4. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश ।
5. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश
6. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, मध्यप्रदेश की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जिलान्तर्गत उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें ।
7. निदेशक स्वामी विवेकानंद कॅरियर मार्गदर्शन योजना, महिला पॉलिटेक्निक ओल्ड आई. आई.एम. बिल्डिंग, राजेन्द नगर, इंदौर की ओर सूचनार्थ ।

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन,स्कूल शिक्षा विभाग

All JD समग्र भारतीय

o/c